



# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)



राजस्थान सरकार  
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
<b>अध्याय 1</b> <b>प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखा परीक्षित इकाईयों का खाका	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढाँचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	4
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	4
समीक्षाओं/प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का प्रति उत्तर	1.7	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	10
<b>अध्याय 2</b> <b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>वन विभाग</b>		
राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा	2.1	11
<b>माध्यमिक शिक्षा विभाग</b>		
विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना	2.2	39

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>अध्याय 3</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना</b>	<b>3.1</b>	
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग आर्थिक सहायता का अनाधिकृत समायोजन	3.1.1	59
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अनियमित व्यय	3.1.2	60
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग संवेदकों के बिलों से रायल्टी की कम/देरी से कटौती।	3.1.3	63
<b>औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले</b>	<b>3.2</b>	
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग परिहार्य व्यय	3.2.1	65
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मशीनों का अनुपयोगी रहना	3.2.2	67
<b>सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ</b>	<b>3.3</b>	
वित्त विभाग पेंशन का सतत् अधिक भुगतान	3.3.1	70
<b>शासन की विफलता/दृष्टिचूक</b>	<b>3.4</b>	
पर्यावरण विभाग निधियों का विपथन/निरर्थक कार्य	3.4.1	72

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>श्रम विभाग</b>		
यूनिसेफ की सहायता का लाभ नहीं उठाना	3.4.2	75
राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्य चालन	3.4.3	77
<b>चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>		
केन्द्रीय निधि का अनुपयोगी रहना	3.4.4	92
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</b>		
निधियों का अनुपयोगी पड़े रहना	3.4.5	94
अनियमित/अधिक भुगतान	3.4.6	95
निधियों का अनुपयोगी रहना	3.4.7	99
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग</b>		
स्वास्थ्य उप केन्द्रों तथा आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण न होना/अपूर्ण रह जाना	3.4.8	101
<b>जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग</b>		
जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने में देरी	3.4.9	103
निष्फल व्यय	3.4.10	106
<b>तकनीकी शिक्षा विभाग</b>		
सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की वसूली का अभाव	3.4.11	108
<b>सामान्य</b>		
लेखापरीक्षा प्रेक्षकों का उत्तर देने का अभाव	3.4.12	109